(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 10/2020- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 **मार्च, 2020**

सा.का. नि. .....(अ) – सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनके कारबार का मूल स्थान या कारबार का स्थान 26 जनवरी, 2020 तक तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव या तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली था; और 27 जनवरी, 2020 के बाद से दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में विलीन हुआ है, ऐसे व यक्तियों के वर्ग, उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे यथा उल्लिखित 31 मई, 2020 तक (इसे इसमें इसके पश्चात् संक्रमण तारीख कहा गया है) निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, -

(i) जनवरी, 2020 और फरवरी, 2020 माह के लिए उक्त अधिनियम के किसी भी उपबंधों के उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (106) के अनुसार कर अवधि अभिनिश्चित करेंगे, जो निम्नानुसार है :-

(क) जनवरी, 2020 : 1 जनवरी, 2020 से 25 जनवरी, 2020;

(ख) फरवरी, 2020 : 26 जनवरी, 2020 से 29 फरवरी, 2020;

(ii) बीजकों या ऐसे अन्य दस्तावेजों में प्रभारित कर की विशिष्टियों का विचार किए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी में समुचित लागू कर का संदाय 26 जनवरी, 2020 से संक्रमण तारीख तक किया जाएगा ;

(iii) जो 25 जनवरी, 2019 तक तत्कालिक संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव और तत्कालिक संघ राज यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) में रजिस्ट्रीकृत हैं, उनको तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) जनवरी, 2020 के लिए विवरणी भरने के पश्चात् निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अतिशेष रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) से नए संघ राज्यक्षेत्र दमन

और दीव तथा दादरा और नागरा हवेली में नीचे दी गई निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अंतरण का विकल्प होगा :-

(1) उक्त व्यक्तियों का वर्ग नए रजिस्ट्रीकरण को प्राप्त करने के एक मास के भीतर आईटीसी के अंतरण के संबंध में अंतरक और अंतरिती के अधिकारिता कर अधिकारी को सूचना देगा;

(2) संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अवधि के लिए तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में विवरणी को भरने के बाद इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष के आधार पर निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) को अंतरित किया जाएगा;

(3) निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अंतरण, संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और अंतरक जीएसटीआईएन **प्ररुप जीएसटीआर-3 ख** के सारणी 4(ख) (2) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से उक्त निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) में जमा करेगा और अंतरिती जीएसटीआईएन **प्ररुप जीएसटीआर–3 ख** के सारणी 4(क)(5) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) के बराबर रकम जमा करेगा ।

3. उक्त व्यक्तियों के वर्ग इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में संघ राज्यक्षेत्र करों का अतिशेष इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में संघ राज्यक्षेत्र कर के अतिशेष के रुप में अंतरित करेंगे, जिनके कारबार का मूल स्थान 25 जनवरी, 2020 की तारीख तक दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में आता है ।

(फा.सं.20/06/03/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार